बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बुधवार, तिथि २३ सितम्बर, १९५३ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर

Short Notice Questions and Answers.

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ३० के सम्बन्ध में।

श्री महेश प्रसाद सिंह—इसका उत्तर तैयार नहीं है।

श्री मुद्रिका सिंह—हुजूर, यह सवाल दो दिनों से चला आ रहा है। यह तो लोकल सवाल है और आपकी इजाजत लेकर मैंने इसको पुट किया था।

श्री महेश प्रसाद सिंह—इसमें कुछ टेकनिकल मैटर है, इस पर जब तक पक्की बात एक्सपर्ट ओपिनियन के जरिये न मिल जाय तब तक गलत बयान आपके सामने कैसे कर दूं।

मिश्री राम का बस परमिट।

३२। श्री गोखुल महरा—क्या मंत्री, यातायात विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) मिश्री राम, गोड्डा को बस लाइसेंस कब मिली और इन दिनों उनकी बस चालू है कि नहीं;

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इसका क्या कारण है;

(ग) क्या यह बात सही है कि संथाल परगना जिलान्तर्गत कुछ लोगों की कई बसें चला करती है, परन्तु उन हरिजनों को बार-बार कठिन परिश्रम करने पर भी लाइसेंस नहीं दी जा रही है;

(घ) क्या सरकार निकट भविष्य में उन्हें बस लाइसेंस देना चाहती है?

Shri RAMCHARITRA SINGH : On a point of order, Sir, the honourable member should not have discussed the place of occurrence because it is a *sub-judice* matter.

SPEAKER : I thank the honourable Minister for reminding me what I was forgetting.

श्री विनोदानन्द झा—इस रहस्य का उद्‌घाटन तो अदालत को करना पड़ेगा।

मैं इस वादविवाद में हिस्सा लेकर सरकार की आलोचना करने या इस दुर्घटना से अश्रुपात करने नहीं खड़ा हुआ हूं बल्कि मैं चाहता हूं कि हमारे देश में अस्पृश्यता का जो भयंकर रोग है उसको दूर करने के लिए पूरा इन्तजाम सरकार करे। मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि २७ तारीख को ९ बजे से १ बजे के भीतर देवघर की जनता मंदिर में प्रवेश करने वाली है और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। जनता की इच्छा तो विनोबाजी पर आक्रमण के दूसरे दिन ऐसा करने को थी लेकिन पूर्णिमा के मेले के अवसर पर यात्री आये हुए थे और इसलिए सोचा गया कि कहीं ऐसा करने से यात्रियों पर इसका बुरा असर न पड़े, इसलिए उस दिन ऐसा नहीं किया गया और २७ तारीख निश्चित किया गया। अब हमें यह देखना है कि सरकार में रक्षा की भावना कैसी है और उसकी रक्षा करने की क्षमता कैसी है। सरकार इस प्रबन्ध में कहां तक सफल होती है इसकी जांच हमें करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आसन ग्रहण करता हूं।

*श्री चन्द्रिका राम—अध्यक्ष महोदय, यह जो दुर्घटना हुई है वह प्रान्त के इतिहास

में कोई नयी बात नहीं है। ऐसी बात देहातों में दिन-प्रति-दिन होती रहती है। अफसोस की बात है कि हम आंख खोल कर इसको नहीं देखते। संत विनोबा के साथ जो घटना घटी है उसके बारे में काफी बहस हो चुकी है कि पुलिस का इन्तजाम ठीक था या नहीं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि गांधी जी का इस विषय पर यह विचार था कि चेन्ज आफ हार्ट यानी (हृदय परिवर्तन) नहीं होगा तब तक इस तरह की घटना होती ही रहेगी। दूसरी तरफ संविधान में हरिजनों को मंदिर आदि में प्रवेश करने का और पूजा करने का पूरा अधिकार है, इसलिए सरकार को देवघर जैसे प्रसिद्ध मन्दिर का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेना चाहिये और उसके लिए जो मैनेजिंग कमिटी बने उसमें हरिजनों का प्रोपर रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिए। इस तरह की घटनाओं का बराबर जांच पड़ताल होते रहना चाहिए और समाज में प्रचार होना चाहिए और ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि फिर ऐसी घटना न घटे।

अध्यक्ष—आपका समय हो गया।

सिंचाई
IRRIGATION

सिंचाई विभाग के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के लिए निवास-स्थान की आवश्यकता।
NECESSITY OF A HOUSE FOR THE SUPERINTENDING ENGINEER, SONE CIRCLE.

Shri RAMANAND TEWARY : Sir, I beg to move—

That the provision of Rs. 50,800 for construction of residence for Superintending Engineer, Sone Circle, and Tube-wells, Arrah be reduced by Re. 1.

(To discuss the necessity of his residential building).

अध्यक्ष महोदय, इस पूरक बजट में सरकार आरा सुपरिंटेंडिंग इन्जीनियर के मकान बनाने के लिए ५० हजार आठ सौ रुपया देना चाहती है। उनका आफिस पहले पटना सेक्रेटरियेट में था और अब उठ कर आरा चला गया है और वहां उनको मकान नहीं मिल रहा है इसलिए सरकार को उन्हें मकान देने की जरूरत पड़ी है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब एक तरफ सरकार को जनहित के काम के लिए पैसे नहीं हैं तो दूसरी तरफ इतना रुपया सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर के मकान के लिए क्यों खर्च किया जा रहा है। तारीफ यह है कि इसी केनल विभाग में १६-१६ वर्षों से काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान नहीं है लेकिन इनके जाते ही इनके मकान के लिए सरकार ५० हजार रुपया खर्च करने को तैयार है। कारण यही है कि ये बड़े अफसर हैं। आपने ५० हजार ८ सौ रुपया बजट में उनके मकान के लिए रखा है। मैं समझता हूं कि आरा टाउन में किराए पर मकान मिल सकता है। लेकिन आपको तो बहुत बड़ा मकान चाहिए क्योंकि आपके अफसरान छोटे मकान में नहीं रह सकते। एक तरफ छोटे छोटे वर्ग के कर्मचारियों के रहने के लिए मकान नहीं है इसके फलस्वरूप वे अधिक किराया देकर भाड़ा के मकान में रहते हैं और दूसरी तरफ सरकार केवल अफसरों के लिए बड़ी बड़ी रकम खर्च करके आलीशान मकान बनाकर संतोष करते हैं और बेचारे गरीब किरानी के लिए कुछ नहीं करते हैं। इसलिए जब तक लोअर ग्रेड स्टाफ के लिए आरा में क्वार्टर्स नहीं बन जाय तब तक हमलोग सुपरिंटेंडिंग इंजिनियर के मकान बनाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। इसी उद्देश्य से मैंने इस कटौती के प्रस्ताव की नोटिस दी है।

श्री रामानन्द उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग के इस खर्च के सम्बन्ध में जो कट मोशन मैंने दिया है उसका कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के लिए इतनी रकम खर्च करके मकान नहीं बनाया जाय। मैं चाहता हूं कि अभी जिस मकान में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रहते हैं उसी में वे अभी गुजर करें और नहीं तो किसी बड़े वृक्ष के नीचे रहें जिस तरह पहले लोग रहते थे या आज भी शान्ति निकेतन में रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, पुराने जमाने में पेड़ के नीचे बैठकर हमारे ऋषि मुनि जो कानून बनाते थे वह सबको मान्य होता था लेकिन इतने बड़े महल में बैठकर जो कानून हमलोग बनाते हैं उसका असर जनता के ऊपर उतना नहीं होता। जब से सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर आरा आये हैं तब से नहर को चौगुना छौगुना बढ़ा दिया गया है। मैं चाहता हूं कि जो रुपया इस मकान पर खर्च करने की बात है उसी रुपये से नहर की मरम्मत की जाय, जैसा कि सरकार ने कनाल रेट बढ़ाने के समय वादा किया था। सरकार ऐसा नहीं कर रही है जिसके कारण सरकार की बदनामी हो रही है। मेरा यह धर्म है कि सरकार को बदनामी से बचावें इसलिए हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि यह समय अफसरों के लिए बड़े-बड़े महल बनाने का नहीं है, अभी आपको नहर सम्बन्धी ऐसे ऐसी योजनाओं को करना चाहिए जिससे गरीब किसान को लाभ हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सिंचाई मंत्री से अपील करता हूं कि वे मेरी बातों को मान जायं ताकि सरकार बदनामी से बचे और जनता को राहत मिल सके।

श्री राम चरित्र सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि इस डिमांड पर भी सदस्यों ने कटौती का प्रस्ताव क्यों लाया है। मैं समझता हूं कि प्रस्तावक

महोदय ने इस डिमांड के सम्बन्ध में जो नोट लिखा है उसको नहीं पढ़ा है। मैं उसे पढ़कर सुना देना चाहता हूं।

"The office of the Superintending Engineer, Sone Circle and Tube-wells, was shifted from the Secretariat buildings to Arrah from 1st August 1952, in the interest of public service. All attempts to find a residential building for the Superintending Engineer at Arrah have proved futile. This is a permanent circle and in order to obviate the difficulty....."

(A lot of noise was felt in the House.)

SPEAKER : I find that the members are growing uncontrollable. This is really regrettable as it is difficult to carry on the business of the House in such circumstances.

Shri RAMCHARITRA SINGH : "Government have decided to construct a permanent official residence for the Superintending Engineer at an estimated cost of Rs. 50,800. The plan adopted for this purpose follows the austerity plan of the Government of India."

यही चीज है और इस प्रस्ताव पर मैं नहीं समझता कि किस तरह नहर के सभी कर्मचारियों के लिए मकान नहीं बना है यह सवाल कैसे उठता है। यह ईशू इस वक्त रेज करने का मौका नहीं है। जब सर्किल हो गया तो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर का वहां रहना जरूरी है, और गवर्नमेंट ने इसको परमानेंट कर दिया है। आपको मालूम होगा कि बक्सर और आरा के बीच १०० ट्यूब-वेल्स हमलोग देने जा रहे हैं और सुपरव्हीजन बहुत रेगुलर करना होगा। तो अगर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर का आफिस और मकान वहां नहीं दें तो यह गैरमुमकिन बात होगी कि वह सुपरव्हीजन कर सकें। तो हमने बता दिया है कि यह बहुत कम खर्च है। बहुत मतबे सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को ऐसी जगह रहना पड़ा जहां उसको रहना लाजिम नहीं था। जमीन यह हमारी है, एक्जक्यूटिव इंजीनियर का बहुत बड़ा कम्पाउंड है। उसमें इस मकान के साथ हम उनके आफिस को भी अटेच कर देंगे। इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता।

श्री रामानन्द उपाध्याय की बात को सुनकर मुझको खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। हमारे मित्र ने कह दिया कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को दरख्त के नीचे रहना चाहिये। यह बात समझ की होती अगर वे कहते कि मंत्रियों को दरख्त के नीचे रहना होगा और वह भी खुद दरख्त के नीचे रहेंगे। तब हम समझ सकते कि उनकी यह बहस जायज है। लेकिन खुद तो जगह के लिए परीशान हैं कि ऐसा फ्लैट होना चाहिए और ऐसा घर होना चाहिए और मंत्रियों के मकान के बारे में कभी उन्होंने नहीं कहा कि दरख्त के नीचे उन्हें रहना चाहिए। हम अगर खुद दरख्त के नीचे रहेंगे तो अपने अफसरों को कहेंगे कि वे भी दरख्त के नीचे रहें। लेकिन जब तक हम यहां हैं तबतक तो यही कहेंगे कि हमको तकलीफ हो मगर उनको तकलीफ नहीं हो क्योंकि हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं मगर अफसर को हम सहूलियत नहीं देंगे तो वह ठीक से काम नहीं कर सकेंगे और इस तरह पब्लिक वर्क में रुकावट होगी।

रेट जो बढ़ा यह किसका कसूर है? रेट तो गवर्नमेंट बढ़ाती है अफसर नहीं बढ़ाता। अगर रेट बढ़ा है तो कसूरवार हम हैं। अगर आप समझते हैं हमने नाजायज किया है तो हमको हटा सकते हैं लेकिन एक गरीब अफसर जो यहां बोल नहीं सकता

है उस पर इस तरह छींटा डालना कि उसको मकान नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्होंने रेट बढ़ा दिया जो बिल्कुल गलत है क्योंकि जिम्मेदारी गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट समझती है कि जैसी हालत है .....।

Shri RAMANAND UPADHYAYA : On a point of order.

Mr. SPEAKER : What is the point of order ?

श्री रामानन्द उपाध्याय—प्वायंट ओफ आर्डर हमारा यही है कि मंत्री जी ने कहा है कि हमको खुद पेड़ के नीचे रह कर दिखलाना चाहिए .....।

अध्यक्ष—यह प्वायंट ओफ आर्डर नहीं है। (हंसी) आप बैठ जायं।

श्री रामानन्द उपाध्याय—मेरा कहना यह है.....।

अध्यक्ष—शांति, शांति। मैंने कहा आप बैठ जायं। अब श्री रामानन्द तिवारी जवाब दें।

श्री रामानन्द तिवारी—सिंचाई मंत्री ने यह कहा है कि हम अपने अफसरों को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। मैं भी उनके साथ हूं लेकिन मैं जानता हूं कि निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए उन्होंने ऐसा प्रबंध नहीं किया है। आपके लिए वे भी कर्मचारी हैं। उनके भी रहने के लिए प्रबंध आपको करना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि उनके रहने के लिए पहले आप प्रबंध करें और उसके बाद इनके लिए करें। अगर ऐसा नहीं करें तो कम से कम दोनों के लिए साथ-साथ प्रबंध करें। मेरा कहना है कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के लिए और अपने निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भी साथ-साथ मकान बनाइए। इनके लिए आप कहां मकान बनाने का प्रबंध कर रहे हैं? जब तक एक भी निम्न श्रेणी का कर्मचारी बिना मकान के रहता है आपको कोई हक नहीं है कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के लिए मकान बनावें।

चूंकि मंत्री महोदय ने कटौती के प्रस्ताव का उचित उत्तर नहीं दिया इसलिए इसको मैं उठाना नहीं चाहता हूं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

That the provision of Rs. 50,800 for construction of residence for Superintending Engineer, Sone Circle and Tube-wells, Arrah, be reduced by Re. 1.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है :

That a supplementary sum not exceeding Rs. 70,911 over and above the provision in the Bihar Appropriation Act, 1953, as passed by the Bihar Legislature, be granted to defray the charges which

will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of "Irrigation" for the new schemes indicated in the schedule at pages 1 and 27 to 28 of the First Supplementary Statement of Expenditure.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सामान्य प्रशासन

GENERAL ADMINISTRATION.

Shri RAMCHARITRA SINHA: I beg to move :—

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 10,20,400 over and above the provision in the Bihar Appropriation Act, 1953, as passed by the Bihar Legislature, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of "General Administration" for the scheme indicated in the schedule at pages 3 to 5 of the First Supplementary Statement of Expenditure.

This motion is made on the recommendation of the Governor.

सिंचाई मंत्री की यूरोप-यात्रा के खर्च का औचित्य।

JUSTIFICATION OF THE EXPENDITURE INCURRED BY THE IRRIGATION MINISTER IN HIS EUROPEAN TOUR.

Shri RAMANAD TEWARI: Sir, I beg to move :—

That the provision of Rs. 8,500 for "Ministers—Allowances" be reduced by Re. 1 to discuss the justification of sanctioning expenditure for tour of the Minister of Irrigation.

अध्यक्ष महोदय, इस मांग के अन्दर सिंचाई मंत्री की यूरोप-यात्रा के खर्च के लिये भी मांग है। इनके यूरोप जाने के लिये दो कारण हैं, पहला शिक्षा प्रणाली का अध्ययन और दूसरा वहां की सिंचाई और बिजली के उत्पादन को देखना। जहां तक उनके जाने का सवाल है ये युनिवर्सिटी की ओर से यूरोप भेजे गये थे। हमारे सिंचाई मंत्री कोई शिक्षा के विशेषज्ञ नहीं हैं और न मालूम फिर किस आधार पर ये यूरोप शिक्षा प्रणाली को देखने के लिये भेजे गये। इसके साथ ही साथ उनकी उम्र को देखने से भी यह ठीक नहीं जंचता है, क्योंकि अगर कोई शिक्षा का पंडित जो नवजवान होता, यदि वह यूरोप वहां की शिक्षा प्रणाली के अध्ययन के लिये भेजा जाता तो उसके तजरबे से देश को बहुत दिनों तक फायदा होता।

अध्यक्ष—तो क्या आपके कहने का यह मतलब है कि इस खर्चे को युनिवर्सिटी को देना चाहिये ?